# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**क्रमांक/वि.अ./99/18/टोंक (2018/00099)**

विभागीय अपील द्वारा श्री देवकी नन्दन शर्मा ग्राम सेवक/पदेन सचिव पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक के विरूद्ध निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोक दिनांक 19.09.2017 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचय प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री देवकी नन्दन शर्मा ग्राम सेवक/पदेन सचिव पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक

## निर्णय

दिनांकः— 30.11.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक के आदेश दिनांक 19.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 19.12.2016 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः—

**आरोप संख्या—एक**

यह है कि आप द्वारा श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त प्रशा—2 ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक स्थानान्तरण आदेश क्रमांक एफ 28 (10) परावि/प्रशा—2/ग्राम सेवक/स्थाना/पर/2014/3010 जयपुर दिनांक 9.10.2014 से आपका स्थानान्तरण पंचायत समिति उनियारा से पंचायत समिति देवली किये जाने पर आप द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर उक्त आदेश पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जिसके लिए आप दोषी है।

**आरोप संख्या–दो**

यह है कि आप द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर चलपीठ जोधपुर में दायर अपील संख्या 181/2014 दिनांक 29.10.2014 में बिन्दु संख्या 5 पर अपीलार्थी के पिता की 5–6 रोज पूर्व मृत्यु हो गई थी, का तथ्य प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जबकि अपीलार्थी के पिता जीवित है जिसके लिए आप दोषी है।

**आरोप संख्या–तीन**

यह है कि आपने राजकीय कर्तव्य पालन में उपेक्षा कर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। जिसके लिए आप दोषी है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 04.01.2017 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई कर अवसर देकर दिनांक 7.4.2017 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, टोंक ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 19.12.2016 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोक के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक का आदेश दिनांक 19.12.2016 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी पर राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण जयपुर में अपने स्थानान्तरण के बारे में प्रस्तुत अपील में स्थगन में मेरे पिताजी की मृत्यु की झूठी सूचना के आधार पर स्थानान्तरण पर स्टे लिया जाने बाबत है जबकि मेरे द्वारा मेरे अधिवक्ता को मेरे पिताजी की मृत्यु की ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी। मेरे अधिवक्ता द्वारा स्थानान्तरण की अपील में मेरे पिता की मृत्यु का अंकन किये जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने स्थानान्तरण अपील टाईप होने के बाद न तो कभी पढ़ी न

ही देखी है। अपील मीमों व शपथ पत्र पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मेरे अधिवक्ता द्वारा अपील मीमों व शपथ पत्र पर उनके द्वारा मेरे हस्ताक्षर किये गये अथवा किसी अन्य से करवाये गये मुझे इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उक्त अपील पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलार्थी पर लगाया गया आरोप संख्या 1 बिल्कुल मिथ्या है। मेरे स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 3010 दिनांक 9.2.2014 के खिलाफ माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ जोधपुर की अपील में टाईपिंग की त्रुटि से पिता का नाम एम.एस.शर्मा की जगह एस.एन.शर्मा अंकित किया गया एवं अपील के पेरा नम्बर 5 में पिता की मृत्यु 5–6 रोज पूर्व होना अंकित किया गया वह अन्य किसी दूसरे की अपील का पेरा कम्पयूटर से रह गया था इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा टाईपिस्ट का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा जवाब के साथ पेश किया गया था। प्रार्थी द्वारा कोई मिथ्या तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये बल्कि भूलवश टाईपिंग त्रुटि से दूसरे की पिटिशन के तथ्य प्रार्थी की पिटिशन में टाईप हो गये जिसके लिए प्रार्थी दोषी नहीं है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट पर लगाया गया आरोप संख्या 2 बिल्कुल मिथ्या है। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ जोधपुर की अपील में टाईपिंग की त्रुटि से पिता का नाम एम.एस.शर्मा की जगह एस.एन.शर्मा अंकित किया गया एवं अपील के पेरा नम्बर 5 में पिता की मृत्यु 5–6 रोज पूर्व होना अंकित किया गया अन्य किसी दूसरे की अपील का पेरा कम्पयूटर से रह गया था। प्राथ्री द्वारा कोई मिथ्या तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये बल्कि भूलवश टाईपिंग त्रुटि से दूसरे की पिटिशन के तथ्य प्रार्थी की पिटिशन में टाईप हो गये जिसके लिए प्रार्थी दोषी नहीं है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट पर लगाया गया आरोप संख्या 3 बिल्कुल मिथ्या है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से राजकीय कर्तव्यों के पालन में कोई उपेक्षा नहीं की ना ही उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना करने के लिए हम सभी आबद्ध थे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका अदम हाजरी अदम पेरवी में दिनांक 8.6.2015 को खारिज जो चुकी है। अतः इस संबंध में प्रार्थी पर लगाये गये आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् टोंक द्वारा पारित दण्डादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अध्किारी, जिला परिषद्, टोंक द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि यह स्वीकार है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति उनियारा से पंचायत समिति देवली में किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, चल पीठ जोधपुर में अपील संख्या 181/2014 प्रस्तुत की जिसमें अपने पिता की मृत्यु की झूठी सूचना का शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया गया किन्तु यह स्वीकार नहीं है कि मात्र टंकण की त्रुटि से उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि वाक्य पूरा जोड़ा हुआ है, टंकण त्रुटि से एक अक्षर अथवा शब्द परिवर्तित हो सकता है किन्तु पिताजी की मृत्यु 5–6 दिन पूर्व हो जाना इसमें प्रथमदृष्टया कोई टंकण त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिससे अपील खारिज योग्य है।

अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि टंकण त्रुटि से ही सब कुछ हुआ है। चूंकि उक्त त्रुटि का सीधा फायदा अपीलांट को ही हुआ है जिससे यह स्पष्ट है कि टंकण की त्रुटि नहीं थी अपितु जान बूझकर ही मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर फायदा लिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यू की झूठी सूचना देकर स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन प्राप्त किया गया । कार्मिक का उक्त कृत्य आचरण संहिता के विपरीत होने से कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर कार्मिक को समुचित अवसर प्रदान कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचय प्रभाव से कार्यालय आदेश क्रमांक 3519 दिनांक 19.09.17 से रोकी गई है जिसका अनुमोदन जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 25.10.2017 में प्राप्त किया गया है। कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही सेवा नियमों/जांच रिपोर्ट के आधार पर किये जाने से अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी को दिया गया दण्ड उचित है।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन व गहन मनन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि उक्त प्रकरण में कार्मिक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात ही अपीलांट को दो वार्षिक वेतन वद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यू की मिथ्या सूचना देकर स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन प्राप्त किया गया। अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, चल पीठ जोधपुर में अपील संख्या 181/2014 प्रस्तुत की जिसमें अपने पिता की मृत्यु की मिथ्या सूचना का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर

स्थगन प्राप्त किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में कहा गया यह कथन कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि मात्र टंकण की त्रुटि से उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि वाक्य पूरा जोड़ा हुआ है, टंकण त्रुटि से एक अक्षर अथवा शब्द परिवर्तित हो सकता है किन्तु पिताजी की मृत्यु 5–6 दिन पूर्व हो जाना इसमें प्रथमदृष्टया कोई टंकण त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। साथ ही अपचारी कर्मचारी का यह कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नही होता है कि उसके द्वारा अपने अधिवक्ता को अपने पिता की मृत्यु की कोई सूचना नही दी गई थी और अपनी स्थानान्तरण अपील में अपने पिता की मृत्यु का अंकन किये जाने की भी उसे कोई जानकारी नही थी। अपचारी कार्मिक का यह कथन कि उसने स्थानान्तरण अपील टंकित होने के उपरान्त न तो पढ़ी और ना ही देखी। अपील और स्थागन प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर नही है आदि भी मानने योग्य नही है। चूंकि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त त्रुटि से सीधा लाभ अपीलार्थी को ही हुआ है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह केवल टंकण की त्रुटि नहीं थी अपितु अपीलांट अभिभाषक द्वारा जान–बूझकर ही मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर लाभ लिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर चलपीठ जोधपुर अपील संख्या 181/2014 से जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.10.2014 में आगामी पेशी 2.12.2014 हो गई थी। उक्त वाद 8.6.2015 तक न्यायालय में विचाराधीन रहा है। न्यायालय द्वारा 8.6.2015 को मय अभिभाषक अनुपस्थित रहने के कारण अदम हाजरी में खारिज किया गया। उक्त प्रकरण अपील अधिकरण में लगभग 8 माह उक्त वाद की सुनवाई में रहा था उक्त अवधि में अपीलार्थी श्री देवकीनन्दन शर्मा द्वारा या उनके अभिभाषक द्वारा अपने पिता की मृत्यु की मिथ्या सूचना का अपील में किये गये अंकन बाबत कोई खण्डन करना भी उचित नहीं समझा गया जो स्पष्ट रूप से न्यायालय को गुमराह करने वाला कृत्य प्रतीत होता है। इससे यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, चल पीठ जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये स्थगन से अपीलार्थी ने यथासंभव पूरा–पूरा लाभ लिया है। अपीलार्थी ने अपने पिता की मृत्यु की सूचना के आधार पर स्थगन लेकर गम्भीर त्रुटि की है तथा इतनी लम्बी अवधि तक उक्त तथ्य को छिपाकर आपराधिक कृत्य कर राजकीय आदेशों की अवहेलना भी की है। इस प्रकार कार्मिक अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर दिनांक 19.09.2017 को कार्मिक की दो वेतन वृद्धियां संचय प्रभाव से रोके जाने का पारित दण्डादेश उचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक जिपटो/संस्था/2017/3519 दिनांक 19.09.2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

**(लक्ष्मी नारायण मीणा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**



Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2018.12.12 16:04:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: